फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

सोनी वगैरह **बनाम** परमेश्वरी वगैरह

किस्म मुकदमा ....225.......................... मुकदमा नंबर..............29..............सन...........2021...........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
09.06.2021	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना द्वारा राजस्व विविध संख्या 48/2020 बअनवान भगवती देवी बनाम परमेशवरी में पारित आदेश दिनांक 29.07.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर म्याद के बिन्दू पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए वकील अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थीगण संख्या 01 ने द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सरहद मौजा परावा के वर्तमान खसरा संख्या 896, 968, 969, 983 रकबा 2.23 हैक्टर एवं 899, 980, 981, 982, 991, 1596 रकबा 1.63 हैक्टर कुल रकबा 3.657 हैक्टर की आराजी पर मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवादित आराजी द्वारा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये का आदेश पारित नहीं किया गया है। जिससे हम प्रार्थीगणों को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई रूपयो–पैसों से नही की जा सकेगी। और हम प्रार्थीगण हमारी पुशतैनी हक अधिकारों से वचित रह जायेगे एवं अप्रार्थीगण हमारी पुशतैनी आराजी पर निर्माण एवं कब्जा करने पर उतारू है। जिनको रोका जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त विवादित आराजी में मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने क़ा आदेश फरमाया जावे। वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अंतरिम व्यादेश इस अमर का सादिर किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 48/2020 बअनवान भगवती देवी बनाम परमेशवरी में पारित आदेश दिनांक 29.07.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त विवादित आराजी में मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति अधिनस्थ न्यायालय के मूल वाद के निर्णय तक बनाये रखने का आदेश दिया जाता है। साथ ही रेस्पोडेन्टगणों को पाबंद किया जाता है कि वे उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगणो के हक, हिस्से की भूमि के कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग में	

राजस्व अपील प्राधिकारी 09/06/2021

अप्रार्थीगण दखलदांजी नहीं करें व नवीन निर्माण कार्य नही करे, उक्त आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना एवं तहसीलदार, चितलवाना को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली
07/06/2021